अनवान तहसीलदार सिवाना V/S उम्मेदवा

मुकदमा नंबर 10 / 2025

नम्बर व तारीख इस हुक्म की	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.25	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्ष उपस्थित। प्रकरण में मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु तहसीलदार सिवाना को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 13.10.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पाई गई है, और किसी भी पक्षकार द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया जाना नहीं पाया गया है। उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली पडी होने से वादग्रस्त भूमि पर अकृषि कार्य किया जाना का कोई प्रश्न नहीं रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि का अकृषि उपयोग किया गया होना अधिनियम का उल्लघंन अवश्य है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में वादी का आवेदन निरर्थक हो गया है। लिहाजा वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना खर्चे स्वंय वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2025.11.02 17:43:50 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	